कार्यालय–मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर

::संशोधित कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1512–25 दिनांक 28.03.2025 में आंशिक संशोधन करते हुए संयुक्त शासन सचिव, गृह (पुलिस) राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप–2) विभाग के पत्र क्रमांक एफ.27 (क) (39) गृह–2/2024 जयपुर पार्ट 1 दिनांक 13.02.2024 एवं श्रीमान अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (पुर्नगठन) राजस्थान जयपुर के पृष्ठांकन क्रमांक 1506 दिनांक 19.02.2025 के द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2024–25 के बिन्दु संख्या 10 की कियान्विती के क्रम में स्वीकृति संख्या 17/2024–25 के द्वारा नवीन महिला पुलिस थाना खैरथल सृजित किए जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। नव सृजित महिला पुलिस थाना खैरथल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय, खैरथल एवं वृत्त कार्यालय किशनगढबास के अधीन रहेगा। उक्त नव सृजित थाने का संचालन किया जाना प्रस्तावित है। जिला पुलिस अधीक्षक खैरथल–तिजारा के आदेश क्रमांक स–4 () खैर–फोर्स/2025/260–65 दिनांक 26.03.2025 के द्वारा उक्त थाने के लिए न्यायालय का आवंटन करवाने बाबत पत्र पेश किया गया है। जिसमें मुताबिक नव सृजित महिला पुलिस थाना खैरथल के क्षेत्राधिकार मुख्यालय खैरथल रहेगा। उक्त नव सृजित महिला पुलिस थाना जिला खैरथल के द्वारा महिलाओं के विरूद्व अत्याचार से संबंधित प्रकरणों में निम्न जांच/अनुसंधान किया जावेगाः–

1. भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 45) की धारा 64, 66, 67, 68, 70, 74, 79, 80, 85, 96, 98, 99, 108, 141, 226 व 296.
2. अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 104) के अधीन दण्डनीय अपराध।
3. दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 28) के अधीन दंडनीय अपराध।
4. ऐसे अपराधों के प्रयत्न या दुष्प्रेरण के लिए दंडनीय अपराध।
5. उक्त वर्णित विधियों में कारित अपराधों के साथ–साथ अगर अन्य विधियों में भी अपराध कारित किया जाता है तो उस विधि में भी अनुसंधान की शक्ति होगी।

माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय अलवर के आदेश क्रमांक स्था/2025/11723 दिनांक 28.03.2025 की अनुपालना में मैं **अर्चना गुप्ता,** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलवर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 12 (1) व 13 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नव सृजित महिला पुलिस थाना, मुख्यालय खैरथल के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले प्रकरणों के निस्तारण हेतु न्यायालय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 2, किशनगढबास का क्षेत्राधिकार आवंटन करती हूँ।

उक्त आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा।

भवदीया,
Sd/–

(अर्चना गुप्ता)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर

क्रमांक :– 2253–63 दिनांक :– 16/05/25

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है–

1. माननीय जिला एवम सेशन न्यायाधीश महोदय, अलवर
2. श्रीमान जिला कलक्टर, अलवर/खैरथल तिजारा/कोटपुतली बहरोड
3. संबंधित न्यायालय.....
4. श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर/खैरथल तिजारा/कोटपुतली बहरोड/भिवाडी
5. संबंधित पुलिस थाना.....
6. संबंधित बार एसोसियेशन
7. कम्प्यूटर शाखा, अलवर (उक्त आदेश को साईट पर अपलोड कर समस्त न्यायालय, अलवर न्यायक्षेत्र को ई–मेल करें)
8. कार्यालय प्रति अध्यक्ष,

Sd/–

(अर्चना गुप्ता)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर